



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP31266942369802T  
Certificate Issued Date : 11-Aug-2021 05:32 PM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14071104/ HAPUR SADAR/ UP-HPU  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1407110451014055150286T  
Purchased by : Smt Garima Singh  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : Anand Vihar Awasiya Yojana Hapur  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : Pradeep Kumar Gupta and other  
Second Party : Smt Garima Singh  
Stamp Duty Paid By : Smt Garima Singh  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,90,500  
(Two Lakh Ninety Thousand Five Hundred only)



E-Stamp Locked

Please write or type below this line.

P.K.

Vandk

Garima Singh



3

हम कि प्रदीप कुमार गुप्ता (PAN ADAPG5554C) पुत्र श्री सर्वदानन्द गुप्ता व श्रीमती वन्दना कुमार (PAN ALXPK7192D) पत्नी श्री अरुणेश कुमार निवासीगण 51, रेवती कुज रेलवे रोड हापुड तहसील व जिला हापुड अन्तरणकर्ता (विक्रेता) मो. 9627744226

एवं

श्रीमती गरिमा सिंह (PAN BLHPS9765D) पत्नी श्री मनोज कुमार सिद्ध निवासी ग्राम कनिया कल्याणपुर परगना व तहसील व जिला हापुड हाल निवासी जे-26, जजेज कम्पाउण्ड मलखाननगर अलीगढ अन्तरिति (क्रेता) मो. 8879313561

विक्रीत भूमि का विवरण:

स्थित आनन्द विहार आवासीय योजना, हापुड (हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण हापुड) तहसील व जिला हापुड में जो कि बस स्टैण्ड से लगभग 2 किलोमीटर व रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है कुल एक किता आराजी प्लाट नम्बर एल-509 कुल क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है, जिसकी सीमाएं व नाप-

पूरब में - सड़क 36 मीटर चौड़ी	भुजा - 10 मीटर
पश्चिम में - प्लाट नम्बर एल-538	भुजा - 10 मीटर
उत्तर में - प्लाट नम्बर एल-508	भुजा - 20 मीटर
दक्षिण में - प्लाट नम्बर एल-510	भुजा - 20 मीटर

है, जो इस लेख द्वारा विक्रय है। अब अन्तरणकर्ता का कोई हक व हिस्सा उक्त विक्रीत भूमि प्लाट में शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा।

P.K.

Vandk

Garima Singh



2  
विक्रय विलेख प्लाट

- क्षेत्र - I
- भूमि का प्रकार - आवासीय
- परगना - हापुड
- ग्राम/मौहल्ला - आनन्द विहार, आवासीय योजना हापुड
- सम्पत्ति का विवरण - प्लाट नम्बर एल-509
- विक्रीत क्षेत्रफल - 200 वर्गमीटर
- मापन की इकाई - वर्गमीटर
- सड़क की स्थिति - 36 मीटर चौड़ी सड़क पर।
- बैनामा अंकन - 60,00,000/-
- सरकारी कीमत - 60,00,000/-
- आ. वि. शुल्क - शामिल है।
- कुल स्टाम्प शुल्क - 4,10,500/- (अंकन 1,20,000/- का स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री इकरारनामा दिनांक 02-07-2021 जिल्द 12134 के पृष्ठ 1/26 दर्तावेज नम्बर 4532 को एवं शेष 2,90,500/- का स्टाम्प शुल्क आज अदा किया गया है।
- सरकारी दर पृष्ठ 36 कोड 0150 के अनुसार 13,500/- प्रतिवर्गमीटर है।
- अंकन 2,90,500/- रूपये E-Stamp No UP31266942369802T दिनांक 11-08-2021 के द्वारा स्टाम्प अदा किया गया है।

P.K.

Vandk

Garima Singh



4

विदित हो कि उक्त भूमि प्लाट को श्रीमती साधना गुप्ता व श्रीमती वन्दना कुमार ने बजरिये बैनामा दिनांक 11-03-2013 जिल्द 8729 के पृष्ठ 67/94 में नम्बर 2940 के द्वारा क्रय किया था श्रीमती साधना गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है अन्तरणकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता अपनी पत्नी श्रीमती साधना की मृत्यु के पश्चात व श्रीमती वन्दना कुमार उक्त बैनामा के द्वारा मालिक, स्वामी, काबिज है और उसको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार से आड बय रहन बैंक लोन बैंक लिमिटेड जमानत, बैंक जमानत मीरगेज, सेल टैक्स, जमानत व शरीक शिकमी डिक्ली कर्की व प्रत्येक प्रकार की देनदारी सरकारी या निजि एवं प्रत्येक प्रकार के वाद विवाद ऋण, भार, हस्तान्तरण आदि-आदि दोषों एवं देनदारियों से पूर्णतया मुक्त है कोई वैधानिक या अद्वैधानिक आपत्ति प्लाट को विक्रय करने में नहीं है, ऐसा विश्वास अन्तरणकर्ता ने अन्तरिति को शपथपूर्वक दिलाया है तथा अन्तरिति ने भी इसी विश्वास के आधार पर उक्त भूमि प्लाट को क्रय किया है, फिर भी यदि भविष्य में कोई वाद विवाद या देनदारी सरकारी या निजि या कोई भी दोष किसी भी प्रकार का उक्त सम्पत्ति पर पाया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व व्यय सहित अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता पर होगा, अन्तरिति से इसके प्रश्नोत्तर का भी कोई हक या सम्बन्ध किसी भी प्रकार से नहीं होगा, अन्तरणकर्ता ने अपने उक्त प्लाट को विक्रय कर दिया है, कि जिसको अन्तरिति अन्तरणकर्ता को उचित बाजार मूल्य देकर खरीद रहे है उक्त भूमि में बने प्लाट का अब सर्व अधिकार व स्वत्व हर प्रकार भूतल बताव भूमि करने आबादी बनाने मकान आदि रखने, निवास, आवागमन मार्ग, प्रकाश, वायु, पानी, परनाला आदि-आदि अर्थात् समस्त अधिकार जो भी अन्तरणकर्ता को उक्त भूमि प्लाट की बाबत प्राप्त है सबको अपनी स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्थ मनोबुद्धि की दशा में बिना

P.K.

Vandk

Garima Singh



दबाव बदले अंकन 60,00,000/- रुपये आगे जिसके 30,00,000/- रुपये होते हैं, हाथ अन्तरिति के हक में पूर्ण प्रकार से विक्रय किया तथा उक्त कुल मूल्य निम्नानुसार जिसका पूर्ण विवरण आगे दिया गया है, के द्वारा प्राप्त करके कुल मूल्य प्राप्त किया, मूल्य में कोई पैसा शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा, विक्रीत भूमि पर अन्तरिति महोदय को अपने समान स्वामी व काबिज करा दिया, अधिकार का परिवर्तन हो गया है, विक्रीत भूमि पर अन्तरिति को कब्जा करा दिया गया है। अन्तरिति अपनी उक्त भूमि प्लॉट को जिस प्रकार चाहे प्रयोग में लावे अपनी सुविधा व इच्छानुसार एक मंजिला या बहु मंजिला निर्माण करे, खुद रखे या विक्रय करे, इसमें अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता को कोई विरोध करने का हक नहीं होगा। अन्तरिति प्लॉट में अपनी तामीर के द्वारा, मोरी, नाली, परनाले व झांप आदि-आदि रास्ते की ओर को रखेगा अन्य किसी ओर को नहीं रखेगा। अब अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता का विक्रय प्लॉट में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा और ना ही उसके मूल्य के सम्बन्ध में साथ अन्तरिति कोई वाद-विवाद किसी प्रकार का शेष नहीं रहा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जायेगा फिर भी विक्रीत भूमि यदि किसी के वाद-विवाद के कारण कुल या जुज भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के अधिकार एव कब्जे से निकल जावे या अपना अधिकार सुरक्षित रखने के कारण अन्तरिति को कुछ और रुपया देना पड़े या विक्रीत भूमि किसी प्रकार के दोष या वाद-विवाद आद बय लोन आदि से ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता इस विक्रय को करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा में अन्तरिति को अधिकार रहेगा कि वह प्लॉट का बाजार मूल्य या वह रुपया जो कि उसको और देना पड़ा हो, मय हर्जा-खर्चा व ब्याज दर कानूनी सहित नियमानुसार अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले, अन्तरणकर्ता को कोई विरोध नहीं होगा। तथा अन्तरणकर्ता ने उक्त प्लॉट को समस्त अधिकारों सहित कि जो भी अधिकार अन्तरणकर्ता को उक्त प्लॉट के बारे में प्राप्त थे, सब समेत अन्तरिति को विक्रय कर दिये हैं, कोई भी

P.K.

Vank

P.K.

P.K.

Vank

P.K.

विवरण प्राप्त धनराशि: उक्त कुल मूल्य 60,00,000/- रुपये इस प्रकार कि अंकन 5,00,000/- रुपये रजिस्ट्री इकरारनामे पर व 1 प्रतिशत टी.डी.एस. अंकन 60,000/- रुपये इस प्रकार कि 30,000/- रुपये चालान संख्या 1587 दिनांक 10-08-2021 व 30,000/- रुपये चालान संख्या 1547 दिनांक 10-08-2021 के द्वारा व शेष अंकन 54,40,000/- रुपये इस प्रकार कि अंकन 24,00,000/- रुपये बैकर्स चैक/पेय आर्डर नम्बर 355300 व अंकन 24,00,000/- रुपये बैकर्स चैक/पेय आर्डर नम्बर 355301 उक्त दोनो बैकर्स चैक दिनांक 10-08-2021 एच.डी.एफ.सी. बैंक मुम्बई व 3,20,000/- रुपये चैक नम्बर 047012 व 3,20,000/- रुपये चैक नम्बर 047013 उक्त दोनो चैक दिनांक 16-08-2021 भारतीय स्टेट बैंक गोण्डा (उत्तर प्रदेश) के द्वारा प्राप्त किया, इस प्रकार कुल मूल्य प्राप्त किया, मूल्य में कोई पैसा शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा।

अतः यह लेख विक्रय-विलेख अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, सदबुद्धि व चेतन्य मन की अवस्था में बिला दबाव व बहकाव के पढ, सुनकर, समझकर व संतुष्ट होकर लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

P.K.

Vank

P.K.

अधिकार इस लेख से बचाकर नहीं रखा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा। कब्जा मौके पर अन्तरिति को करा दिया गया है। इस विक्रय विलेख में अन्तरणकर्ता के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक एव न्यायिक प्रतिनिधिगण भी सम्मिलित माने व समझे जायेगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियां जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते हैं को लेखपत्र में सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये हैं, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय विलेख पर शासनादेश संख्या स. वि. क. नि. 2756/11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30-06-2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, कब्जा मौके पर अन्तरिति को करा दिया गया है। प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त प्लॉट को विक्रेता ने अपने समस्त अधिकारों सहित विक्रय किया है। अब अन्तरणकर्ता का कोई हक व हिस्सा उक्त विक्रीत प्लॉट में शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा, अगर उक्त सम्पत्ति या लेन देन की बाबत पक्षगण के मध्य कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में होगा या भविष्य में चलेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षगण की होगी जिसमें दस्तावेज लेखक का कोई मतलब या वास्ता नहीं होगा। विक्रय विलेख में जो फोटो चस्पा किये गये हैं उनमें गवाहों के फोटो विक्रेता व क्रेता ने तस्दीक किये हैं तथा गवाहों ने विक्रेता व क्रेता के फोटो तस्दीक किये हैं, पक्षकार व गवाहन के फोटो प्रमाणन के उपरान्त दस्तावेज लेखक ने उन्हें प्रमाणित किया है। उक्त प्लॉट के सम्बन्ध में जो सभी शर्तें प्राधिकरण द्वारा विक्रेता पर लागू थीं वह सभी शर्तें क्रेता पर भी लागू रहेगी।

P.K.

Vank

P.K.

P.K.

Vank

P.K.

दस्तावेज हाजा पक्षगण के निर्देशानुसार लेखबद्ध किया गया है।

P.K.

Vank

P.K.

2011/11/1315  
ह. साक्षी रनवीर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह  
निवासी ग्राम कनिया कल्याणपुर मो. 9997111315

ह. साक्षी राजकुमार उपाध्याय पुत्र श्री जटाशंकर उपाध्याय  
निवासी जे एफ 111 भागीरथी कुंज गगानगर मेरठ मो. 9149197541

दिनांक : 13-08-2021

अशोक कुमार त्यागी  
दस्तावेज लेखक तहसील हापुड  
ला0 न0 43 विधिमान्य तिथि विस्तार  
फीस रु. 10000/- पायी।  
हस्ताक्षर लेखक

अशोक कुमार त्यागी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 557334

विक्रय पत्र (प्लॉट)

- |         |                       |                                     |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| क्षेत्र | भूमि का प्रकार        | -- आवासीय                           |
|         | परगना                 | -- हापुड़                           |
|         | मोहल्ला / गाम         | -- आनन्द विहार आवासीय योजना         |
|         | भूमि का विवरण         | -- प्लॉट नम्बर एल-509               |
|         | मापन की इकाई          | -- वर्गमीटर                         |
|         | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | -- 200 वर्गमीटर                     |
|         | सड़क की स्थिति        | -- 36 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है। |
|         | बैनामा अंकन           | -- 22,44,000/-                      |
|         | सरकारी कीमत           | -- 22,44,000/-                      |
|         | स्टाम्प शुल्क         | -- 1,47,100/-                       |
|         | आवास विकास शुल्क      | -- शामिल है।                        |
|         | योग                   | -- 1,47,100/-                       |

चेतन

Sadhana Gupta

Vandana



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 557335

विक्रय भूमि 36 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होने के कारण स्टाम्प शुल्क सर्फिलरेंट लिस्ट की पृष्ठ संख्या 14 के क्रमांक 18 क पर दर्ज 10,200/-रुपये प्रति वर्गमीटर पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 11,220/- रुपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार अदा किया गया है।

हम कि योगेन्द्र पुत्र श्री संतोष कुमार वर्मा निवासी एच0आई0जी0-सी 4, नीति नगर, एडवोकेटस कालोनी, सेक्टर-23, गाजियाबाद (अन्तरणकर्ता) व

चेतन

Sadhana Gupta

Vandana



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A 557336

श्रीमति साधना गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी 51, रेवती कुंज रेलवे रोड हापुड़ व श्रीमति वन्दना कुमार पत्नी श्री अरुणेश कुमार निवासी 51, रेवती कुंज रेलवे रोड हापुड़ परगना व तहसील व जिला हापुड़ (अन्तररिति) है।

चेतन

Sadhana Gupta

Vandana



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 557337

विक्रीत प्लॉट का विवरण

स्थित आनन्द विहार आवासीय योजना, हापुड़ विलखवा विकास प्राधिकरण हापुड़ परगना व तहसील व जिला हापुड़ में सल्लिम एककित्ता आराजी प्लॉट/प्लॉट नम्बर नम्बर एल-509 रकबा 200 वर्गमीटर भूमि है, जो इस लेख द्वारा विक्रय है, जिसके

- |         |                       |      |           |
|---------|-----------------------|------|-----------|
| पूरुब   | - सड़का 36 मीटर चौड़ा | भुजा | - 10 मीटर |
| पूरुबिम | - प्लॉट नम्बर एल-538  | भुजा | - 10 मीटर |
| उत्तर   | - प्लॉट नम्बर एल-508  | भुजा | - 20 मीटर |
| दक्षिण  | - प्लॉट नम्बर एल-510  | भुजा | - 20 मीटर |

चेतन

Sadhana Gupta

Vandana





देश UTTAR PRADESH

A 557338



तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 557339

5

विदित हो कि उक्त प्लॉट का अन्तरणकर्ता रजिस्ट्रि बँनामा दिनांक 04-02-2013 को वही नम्बर 1 जिल्द 8893 के पृष्ठ 179/224 दस्तावेज नम्बर 1696 के द्वारा खरीद करके 'मालिक, स्वामी, कब्जिज है और उसको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार से भार मुक्त है तथा हर प्रकार के बाद विवाद सरकारी अथवा गैर सरकारी एवं पारिवारिक अथवा गैर पारिवारिक आदि

सोनी

Sadhana Gupta

Nandani

आदि दोषों से मुक्त है जिसका विवरण विवेका ने ज्ञान को दिलाया है और उसको सुरक्षा दी गयी है उक्त सम्पत्ति को क्रय किया है उक्त प्लॉट को अब सर्व अधिकार व स्वयं हर प्रकार भूतल वायव्य भूमि करने आकादी बनाने मगान आदि करने निम्न आवागमन मार्ग, प्रकाश, वायु, माली, पानी, चरवासा आदि मजिद अपनी स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वयं मनोवृत्ति की रक्षा में बिना किसी दबाव व परेशान

सोनी

Sadhana Gupta

Nandani



प्रदेश UTTAR PRADESH

22641



तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 115889

7

बदले अंकन 22,44,000/- रूपया आधे जिसके अंकन 11,22,000/- रूपया के हाथ द्वितीयपक्ष अन्तरिति के हक में पूर्ण प्रकार से विक्रय किया, तथा विक्रीत पर कब्जा क्रेता का करा दिया है अब विक्रीत भूमि पर अन्तरिति महोदय को समान मालिक, स्वामी व कब्जिज करा दिया, अधिकार का परिवर्तन हो गया अन्तरणकर्ता व यारिसान अन्तरणकर्ता का विक्रय प्लॉट में कोई हक व हिस्सा

सोनी

Sadhana Gupta

Nandani

8

नहीं रहा है, और न ही भविष्य में माना व समझ जायेगा फिर भी विक्रीत भूमि यदि किसी के वाद-विवाद के कारण कुल या जुज भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के अधिकार एवं कब्जे से निकल जावे या अपना अधिकार सुरक्षित रखने के कारण अन्तरिति को कुछ और रूपया देना पड़े या विक्रीत भूमि किसी प्रकार के आड बय लोन आदि से ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता इस विक्रय को करने के

सोनी

Sadhana Gupta

Nandani



UTTAR PRADESH

AG 115890

10

9


अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा में अन्तरिति को अधिकार रहेगा कि वह प्लॉट का बाजार मूल्य या वह रुपया जो कि उसको और देना पडा हो, नय हर्जा-खर्चा व व्याज दर कानूनी सहित नियमानुसार अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले. अन्तरणकर्ता को कोई विरोध नहीं होगा, अन्तरिति प्लॉट में अपनी तामीर के द्वारा

Sadhana Gupta Handan

मोरी नाली, परनाले, झोंप आदि आदि रास्ते की ओर को रखेगा, अन्य किसी ओर को नहीं रखेगा। अन्तरिति अपनी इच्छानुसार प्लॉट में एक भजिला व दहनुमिआ निर्माण करावे-इसमें अन्तरणकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी, कब्जा नोके अन्तरिति का करा दिया है। शासनादेश संख्या सो0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनोंक 30-06-2008 के अनुसार स्टाम्प

Sadhana Gupta Handan

चौगै



प्रदेश UTTAR PRADESH

X 905038

12

प्रदेश UTTAR PRADESH

X 905037

11

शुल्क अदा किया गया है। विक्रय भूमि में कोई निर्माण नहीं है। अगर उक्त प्लॉट या सैनदेन की बावत पक्षण के मध्य कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में होगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता एवं क्रेता की होगी। जिसमें बसोका नवीस/एडवोकेट, व। कोई मतलब या वास्ता नहीं होगा। विक्रय पत्र में फोटो चरखा किये हैं तथा गवाहों ने विक्रेता एवं क्रेता के फोटो तसदीक किये हैं तथा क्रेता व विक्रेता ने गवाहों के फोटो तसदीक किये है। हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण के जो भी नियम एवं शर्तें अन्तरणकर्ता पर लागू होती हैं वह सभी समान रूप से अन्तरिति पर भी लागू रहेंगी।

चौगै


Sadhana Gupta Handan

विवरण रुपया प्राप्ति -- कुल रुपया इस प्रकार की अंकन 4,000/- रुपये नकद प्राप्त किये व अंकन 4,00,000/- रुपये बजरिये बैंक नम्बर 056161 दिनोंक 24-12-2012 बैंक ऑफ इण्डिया हापुड के द्वारा व अंकन 4,00,000/- रुपये बजरिये बैंक नम्बर 056162 दिनोंक 29-12-2012 बैंक ऑफ इण्डिया हापुड के द्वारा व अंकन 3,20,000/- रुपये बजरिये बैंक नम्बर 375376 इन्डसइन्ड बैंक हापुड दिनोंक 07-03-2013 के द्वारा अंकन 5,20,000/- रुपये बजरिये ड्राफ्ट नम्बर 126183 दिनोंक 09-03-2013 बैंक ऑफ बडौदा लखनऊ के द्वारा व अंकन 6,00,000/- रुपये, बजरिये ड्राफ्ट नम्बर 126184 दिनोंक 09-03-2013 बैंक ऑफ बडौदा लखनऊ के द्वारा प्राप्त किये, इस प्रकार कुल रुपया प्राप्त किया, मूल्य में कुछ शेष नहीं रहा।

अतः यह लेख विक्रय-पत्र अपनी स्वेच्छा प्रसन्नता, सदबुद्धि व चेतन्य मन की अवरस्था में बिला किसी दवाव व बहकाव लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समुय पर काम आवे।

चौगै

Sadhana Gupta Handan



# Hapur-Piikhuwa Development Authority, Mutation Certificate

Date: -04-Oct-2019

From: Hapur-Piikhuwa Development Authority

To: PRADEEP KUMAR GUPTA  
51, REVTIKUNJ NEAR SALE TAX OFFICE HAPUR 245101  
Hapur



Sub: Regarding Mutation of property due to Death  
Ref: Mutation Application No. MU2019040112551030 . Dt. 01-Apr-2019

Sir With reference to the above-mentioned application, it is to inform you that on the basis of documents submitted by you, your application for mutation has been Approved on 04-Oct-2019. The name(s) have been accordingly updated in the official records of the property L 009, L, ANAND VIHAR YOJNA, as under:-

Old name(s): - YOGENDRA

The following new name(s) have been updated: -

New name(s): - PRADEEP KUMAR GUPTA, VANDAN, KUMAR

Approving officer: - AE, HPDA

The terms and conditions related to allotment will remain unchanged and you have to abide by the terms depicted in the submitted sale deed and allotment letter.

Note: -

Please note that, if any dispute arises in future in this subject, this certificate shall automatically stands cancelled and all decisions shall be governed by orders passed by Hon'ble Court having the jurisdiction. In this case you have to bear all financial liabilities reflected by Hon'ble Court.